



माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

डॉ. निलेश कुमार पटेल

प्राचार्य, स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां (म. प्र.)

शोध सारांश

यह अध्ययन मात्रात्मक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन है। इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। सुविधाजनक न्यादर्श पद्धति से चयनित न्यादर्श में खरगोन जिले के दो शासकीय और तीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 105 शिक्षकों का चयन किया गया। इस अध्ययन में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 31 (14 पुरुष, 17 महिला) तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 77 (33 पुरुष, 44 महिला) शिक्षक सम्मिलित हुए। प्रदत्तो के संकलन हेतु डॉ. विशाल सूद और डॉ. आरती आनंद (2011) द्वारा विकसित 'टीचर्स एटीट्यूड स्केल टुवर्ड्स इंकलूसिव एजुकेशन' का प्रयोग किया गया। प्रदत्तो का विश्लेषण द्विमागीय (2X2) प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीक द्वारा किया गया है। अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है (1) समावेशी शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं का दृष्टिकोण पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक पाया गया, (2) समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का दृष्टिकोण अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में अत्यधिक सकारात्मक पाया गया एवं (3) विद्यालय के प्रकार और लिंग के मध्य कोई सार्थक अंतःक्रिया नहीं पाई गई, जिसका अर्थ है कि विद्यालय के प्रकार का प्रभाव महिला और पुरुष दोनों शिक्षकों पर एक समान रूप से प्रभावी है।

1. प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा का अर्थ है – सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हों, एक ही सामान्य विद्यालय में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा सभी के लिए है और किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई अथवा आर्थिक विविधता शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं बननी चाहिए।

वैश्विक स्तर पर यूनेस्को (UNESCO) ने समावेशी शिक्षा को मानवाधिकार का अभिन्न अंग माना है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समावेशी शिक्षा को



विशेष महत्व दिया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जहाँ सभी विद्यार्थी समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।

माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवस्था विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का संवेदनशील चरण होती है। इस स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण, व्यवहार एवं शिक्षण कौशल का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। यदि शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो वे विविध क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं।

किन्तु व्यावहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे—विशेष प्रशिक्षण का अभाव, संसाधनों की कमी, कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की संख्या तथा समय प्रबंधन की कठिनाइयाँ। इन परिस्थितियों में शिक्षकों का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा की सफलता का एक प्रमुख निर्धारक तत्व बन जाता है।

2. भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 'शिक्षा का अधिकार' (RTE, 2009) प्रत्येक बच्चे को समान अवसर की गारंटी देता है। भारत में 'विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम' (RPwD Act, 2016) ने समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हो।

विविधता का प्रबंधन और सामाजिक एकीकरण: भारत में जाति, धर्म, भाषाई विविधता और आर्थिक विषमता के कारण समाज कई स्तरों पर विभाजित रहा है। समावेशी शिक्षा इन सामाजिक दूरियों को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों और दिव्यांगों के बच्चे एक ही छत के नीचे शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो यह 'सामाजिक समावेशन' (Social Inclusion) की प्रक्रिया को गति देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य: नई शिक्षा नीति ने 'समान और समावेशी शिक्षा' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत के लिए यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे यहाँ दिव्यांगों के साथ-साथ 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों' (SEDGs) के बीच स्कूल छोड़ने (Drop-out) की दर बहुत अधिक है। समावेशी वातावरण इन बच्चों को स्कूल में टिके रहने और अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।



शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण व्यवस्था का सुधार: भारत में शासकीय विद्यालयों ने संवेदीकरण के माध्यम से सकारात्मकता दिखाई है, लेकिन अशासकीय क्षेत्र में अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। भारत के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा के दोनों स्तंभ (शासकीय और अशासकीय) समान रूप से समावेशी हों ताकि राष्ट्र का 'जनांकिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) व्यर्थ न जाए।

भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल 'विकलांगों की शिक्षा' नहीं, बल्कि 'शिक्षा की समानता' है। यह प्रत्येक बच्चे के आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा निवेश है, जो अंततः आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक होगा।

3. शोध के औचित्य का स्पष्टीकरण

समावेशी शिक्षा वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को, विशेषकर दिव्यांग एवं वंचित वर्गों के बच्चों को, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा की सफलता मुख्यतः शिक्षकों के दृष्टिकोण, संवेदनशीलता, दक्षता एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, तो नीतिगत प्रावधानों के बावजूद समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा इस अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करती है।

विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण सामान्यतः सकारात्मक है (महाजन, 2015; बंसल, 2016; सिंह एवं अन्य, 2020; खन्डोवा एवं अन्य, 2023)। उदाहरणतः महाजन (2015) एवं बंसल (2016) के अध्ययनों में शिक्षकों का औसत दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया, जबकि सिंह एवं अन्य (2020) ने भी पूर्व-सेवा एवं सेवारत शिक्षकों में अनुकूल दृष्टिकोण की पुष्टि की। विद्यार्थियों के स्तर पर भी खन्डोवा एवं अन्य (2023) ने पाया कि किशोर विद्यार्थियों का दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समग्र रूप से सकारात्मक है। इससे यह संकेत मिलता है कि समावेशी शिक्षा के प्रति सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पर सकारात्मक वातावरण विकसित हो रहा है। हालाँकि, विभिन्न जनसांख्यिकीय कारकों के संदर्भ में प्राप्त निष्कर्षों में एकरूपता नहीं पाई गई है। कुछ अध्ययनों में लिंग के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है (महाजन, 2015; कलिता, 2020; कौर, 2020; पद्मावती, 2019), जबकि अन्य अध्ययनों में पुरुष एवं महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया (लीका, 2016; सिंह एवं अन्य, 2020)। इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि के संदर्भ में भी भिन्न-भिन्न निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—कौर (2020) ने महत्वपूर्ण अंतर की पुष्टि की, जबकि महाजन (2015) ने ऐसा कोई अंतर नहीं पाया। इन विरोधाभासी परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न संदर्भों एवं परिस्थितियों में दृष्टिकोण की प्रकृति भिन्न हो सकती है, जिसे पुनः जाँचना आवश्यक है। प्रशिक्षण एवं सामाजिक



समर्थन को भी समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक माना गया है। लीका (2016) ने स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण शिक्षकों के दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसी प्रकार देसोम्ब्रे एवं अन्य (2021) ने पाया कि शिक्षकों का आत्मविश्वास एवं उपलब्ध सामाजिक समर्थन उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अभिभावकों के दृष्टिकोण संबंधी अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि समावेशी शिक्षा को व्यापक सामाजिक समर्थन प्राप्त है (यूनेस्को, 2020)। इससे यह संकेत मिलता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत प्रावधानों पर नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता एवं सामाजिक सहयोग पर भी निर्भर करती है।

यद्यपि उपर्युक्त अध्ययनों ने समावेशी शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्पष्ट किया है, फिर भी अधिकांश शोध सीमित भौगोलिक क्षेत्रों, छोटे न्यादर्श आकार या विशिष्ट समूहों तक सीमित रहे हैं। पूर्व अध्ययनों से प्राप्त परिणामों में पर्याप्त विरोधाभास पाया जाता है तथा निष्कर्षों में एकरूपता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही, इस क्षेत्र में संपन्न अध्ययनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बदलते शैक्षिक परिदृश्य, नई शैक्षिक नीतियों एवं समावेशन की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का पुनः एवं व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः यह अध्ययन पूर्ववर्ती शोधों में विद्यमान शोध-अंतर (Research Gap) को स्पष्ट करने, विरोधाभासी निष्कर्षों की पुनः परीक्षा करने तथा वर्तमान संदर्भ में शिक्षकों के दृष्टिकोण का यथार्थ आकलन करने की दृष्टि से अत्यंत औचित्यपूर्ण है। यह अध्ययन न केवल समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधन-विकास एवं नीतिगत निर्णयों के लिए भी एक ठोस आधार प्रस्तुत करेगा।

4. शोध उद्देश्य

1. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर शिक्षकों के लिंग एवं विद्यालय के प्रकार की अंतःक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना।

5. परिकल्पनाएँ

1. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं है।



2. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार का सार्थक प्रभाव नहीं है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर शिक्षकों के लिंग एवं विद्यालय के प्रकार की अंतःक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं है।

6. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध की प्रविधि सर्वेक्षणात्मक है जिसके अंतर्गत खरगोन जिले के 5 माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। इस सर्वेक्षणात्मक अध्ययन में खरगोन जिले के दो शासकीय माध्यमिक एवं तीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से जानकारी एकत्र कर सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।

न्यादर्श: प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा न्यादर्श के रूप में सुविधाजनक न्यादर्श पद्धति से खरगोन जिले के दो शासकीय और तीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 105 शिक्षकों का चयन किया गया। इस अध्ययन में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 31 (14 पुरुष, 17 महिला) तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 77 (33 पुरुष, 44 महिला) शिक्षक सम्मिलित हुए।

उपकरण: प्रदत्तों के संकलन हेतु डॉ. विशाल सूद और डॉ. आरती आनंद (2011) द्वारा विकसित 'टीचर्स एटीट्यूड स्केल टुवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन' का प्रयोग किया गया। मापनी में सामग्री वैधता (Content Validity), क्रॉस वैधता (Cross Validity), आइटम वैधता (Item Validity) तथा अंतर्निहित वैधता (Intrinsic Validity) स्थापित की गई है। मापनी की विश्वसनीयता पुनः परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात की गई, जिसका गुणांक 0.82 प्राप्त हुआ।

प्रदत्त विश्लेषण तकनीक : प्रदत्तों का विश्लेषण द्विमागीय (2X2) प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीक द्वारा किया गया है।

7. परिणामों की विवेचना

(i) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन

शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य था 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के माध्यमिकों की लिंगवार तुलना करना'। लिंग की आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के दो उपसमूह थे क्रमशः (1) पुरुष एवं (2) महिला। पुरुष शिक्षकों की संख्या 47 थी एवं महिला शिक्षकों की संख्या 61 थी। प्रदत्तों का विश्लेषण F-परीक्षण द्वारा किया गया, जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 2 में प्रदर्शित है –



तालिका क्रमांक 2: शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के लिए 2X2 द्विमार्गीय प्रसरण
विश्लेषण का सारांश

Source of Variance	SSy.x	df	MSSy.x	Fy.x	p	η^2
School Type	1776.816	1	1776.816	20.328	0.000	.164
Gender	743.806	1	743.806	8.510	0.004	.076
School Type \times Gender	30.329	1	30.329	0.347	.557	.003
Error	9090.523	104	87.409			
Total	1414792.00	108				

तालिका क्र 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लिंग (Gender) के संगत F-मान 8.510 है जो कि सार्थकता के स्तर 0.004 पर सार्थक है। अतः यह मान सार्थकता के स्तर 0.05 पर भी सार्थक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं है' सार्थकता के स्तर 0.05 पर निरस्त की जाती है। इस अवलोकन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर लिंग का सार्थक प्रभाव होता है। उत्तरोत्तर विश्लेषण के लिए तालिका क्र. 3 से शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के लिंगवार माध्यमिक फलों का अध्ययन किया जा सकता है –

तालिका क्रमांक 3: शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के लिंगवार माध्यमिक फलों का

Gender	N	Mean (M)
Male	47	112.65
Female	61	118.49

तालिका क्र. 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का माध्यमिक फल 112.65 प्राप्त हुआ है, जबकि महिला शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का माध्यमिक फल 118.49 प्राप्त हुआ है। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में महिला शिक्षिकाओं का औसत फल पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक है। यह दर्शाता है कि महिला शिक्षिकाएं समावेशी कक्षा कक्ष (Inclusive Classroom) में विविध आवश्यकताओं वाले बालकों को स्वीकार करने, उनके प्रति संवेदनशीलता रखने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करने के प्रति पुरुषों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं।

पुनः तालिका क्र. 2 में लिंग के संगत η^2 का मान 0.076 है। यह माध्यम श्रेणी का प्रभाव आकार है। जो यह दर्शाता है कि के समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण में जो भी भिन्नता पाई गई है, उसका 7.6% हिस्सा उनके लिंग (पुरुष या महिला होने) के प्रभाव के कारण है।



परिणाम की चर्चा: यह परिणाम महाजन (2015), कलिता (2020) और पद्मावती (2019) के अध्ययनों के अनुरूप है, जिन्होंने भी अपने शोध में महिला शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील और सकारात्मक पाया था। समावेशी शिक्षा में दृष्टिकोण की यह भिन्नता महिला शिक्षकों में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली सहानुभूति (Empathy) और धैर्य की अधिकता के कारण हो सकती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने में सहायक सिद्ध होती है। इसके विपरीत, यह निष्कर्ष सिंह एवं अन्य (2020) और लीका (2016) के परिणामों से भिन्न है, जिन्होंने लिंग के आधार पर दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया था। यह विरोधाभास इंगित करता है कि समय और स्थान के साथ सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन आ सकता है।

(ii) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार के प्रभाव का अध्ययन

शोध अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य था 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार के प्रभाव का अध्ययन करना'। विद्यालय के प्रकार के आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के दो उपसमूह थे क्रमशः (1) शासकीय विद्यालय एवं (2) अशासकीय विद्यालय। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 31 थी एवं अशासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 77 थी। प्रदत्तों का विश्लेषण F-परिक्षण द्वारा किया गया, जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 2 में प्रदर्शित किये गए हैं।

तालिका क्र 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय के प्रकार (School Type) के संगत F-मान 20.328 है जो कि सार्थकता के स्तर 0.00 पर सार्थक है। अतः यह मान सार्थकता के स्तर 0.05 पर भी सार्थक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की द्वितीय परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार का सार्थक प्रभाव नहीं है' सार्थकता के स्तर 0.05 पर निरस्त की जाती है। इस अवलोकन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार का सार्थक प्रभाव होता है। उत्तरोत्तर विश्लेषण के लिए तालिका क्र. 4 से शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के विद्यालय के प्रकार के आधार पर प्राप्त माध्यमिकों का अध्ययन किया जा सकता है –

तालिका क्रमांक 4: शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के विद्यालय के प्रकार के आधार पर प्राप्त माध्यमिकों

Gender	N	Mean (M)
Govt	31	120.08
Private	77	111.05

तालिका क्र. 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का माध्यमिक 120.08 प्राप्त हुआ है, जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का माध्यमिक 111.05 प्राप्त हुआ है। इन परिणामों से



यह स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा के प्रति, निजी विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।

इस सांख्यिकीय अंतर की गहनता को समझने के लिए ईटा स्क्वायर (η^2) की गणना की गई, तालिका क्र. 2 में विद्यालय के प्रकार के संगत η^2 का मान 0.164 है। कोहेन (1988) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 0.14 से अधिक का मान 'बड़े प्रभाव' (Large Effect Size) को प्रदर्शित करता है। यह परिणाम यह सिद्ध करता है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में विचरण (Variance) का 16.4% भाग विद्यालय के प्रकार द्वारा निर्धारित होता है।

परिणाम की चर्चा: देसोम्ब्रे एवं अन्य (2021) ने भी स्पष्ट किया था कि संस्थागत समर्थन और संसाधनों की उपलब्धता शिक्षकों के आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को बढ़ाती है। अशासकीय विद्यालयों में समावेशी संसाधनों की संभावित कमी और विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव के कारण वहां के शिक्षकों का माध्यमफल कम प्राप्त हुआ हो सकता है। यह अंतर इस कारण हो सकता है कि सरकारी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) से संबंधित सरकारी नीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे निष्ठा - NISHTHA) और विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ कार्य करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। इससे शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और स्वीकार्यता में वृद्धि होती है।

(iii) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर शिक्षकों के लिंग एवं विद्यालय के प्रकार की अंतःक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना

शोध अध्ययन का तृतीय उद्देश्य था 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर शिक्षकों के लिंग एवं विद्यालय के प्रकार की अंतःक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना'। प्रदत्तों का विश्लेषण F-परिक्षण द्वारा किया गया, जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 2 में प्रदर्शित किये गए हैं।

तालिका क्र 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय के प्रकार एवं लिंग की अंतःक्रिया (School TypeXGender) के संगत F-मान 0.347 है जो कि सार्थकता के स्तर 0.557 पर सार्थक है। अतः यह मान सार्थकता के स्तर 0.05 पर सार्थक नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की तृतीय परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर शिक्षकों के लिंग एवं विद्यालय के प्रकार की अंतःक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं है' सार्थकता के स्तर 0.05 पर निरस्त नहीं की जा सकती। इस अवलोकन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विद्यालय के प्रकार एवं लिंग की अंतःक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

परिणाम की चर्चा: अंतःक्रिया के सार्थक न होने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय के प्रकार (शासकीय या अशासकीय) का शिक्षकों के दृष्टिकोण पर जो प्रभाव पड़ता है, वह पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों के लिए एक समान है। दूसरे शब्दों में, लिंग का प्रभाव विद्यालय के प्रकार पर निर्भर नहीं करता और न ही विद्यालय के प्रकार का प्रभाव लिंग पर आधारित है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन साथ मिलकर कोई विशिष्ट प्रतिरूप (Pattern) नहीं बनाते। विद्यालय का प्रकार (शासकीय/अशासकीय) पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के शिक्षकों को एक समान रूप से प्रभावित कर रहा है। यह निष्कर्ष सिंह एवं अन्य (2020) के उन तर्कों को पुष्ट करता है जहाँ



जनसांख्यिकीय चर स्वतंत्र रूप से तो प्रभाव डालते हैं, परंतु एक-दूसरे के प्रभाव को परिवर्तित नहीं करते। यह दर्शाता है कि दृष्टिकोण निर्माण में व्यक्तिगत चर (लिंग) और वातावरणीय चर (विद्यालय प्रकार) अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं।

8. निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

1. **लिंग का प्रभाव:** समावेशी शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं का दृष्टिकोण पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक पाया गया है।
2. **विद्यालय के प्रकार का प्रभाव:** समावेशी शिक्षा के प्रति शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का दृष्टिकोण अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में अत्यधिक सकारात्मक पाया गया।
3. **अंतःक्रिया का अभाव:** विद्यालय के प्रकार और लिंग के मध्य कोई सार्थक अंतःक्रिया नहीं पाई गई, जिसका अर्थ है कि विद्यालय के प्रकार का प्रभाव महिला और पुरुष दोनों शिक्षकों पर एक समान रूप से प्रभावी है।

9. शैक्षिक निहितार्थ

शोध के निष्कर्षों (शासकीय शिक्षकों का बेहतर दृष्टिकोण, महिलाओं की उच्च सकारात्मकता, और विद्यालय प्रकार का बड़ा प्रभाव) के आधार पर शिक्षा विभाग, नीति निर्धारकों एवं विद्यालय प्रबंधकों के लिए पृथक-पृथक शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं-

शिक्षा विभाग के लिए निहितार्थ

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन: शिक्षा विभाग को अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं और 'इन-सर्विस' प्रशिक्षण आयोजित करने चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण शासकीय शिक्षकों की तुलना में कम सकारात्मक पाया गया है।
- सफल प्रणालियों का साझाकरण: शासकीय विद्यालयों में प्राप्त उच्च सकारात्मकता को आधार बनाकर वहां की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (Best Practices) को अशासकीय विद्यालयों के साथ साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करना चाहिए।
- निरंतर अनुश्रवण (Monitoring): विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समावेशी शिक्षा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पुरुष शिक्षकों और अशासकीय संस्थानों के दृष्टिकोण में व्यावहारिक सुधार लाने हेतु सतत मूल्यांकन हो।



नीति निर्धारकों के लिए निहितार्थ

- समान नीतिगत मानक: नीति निर्धारकों को शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान 'समावेशी मानक' निर्धारित करने चाहिए, ताकि विद्यालय का प्रकार (School Type) शिक्षकों के दृष्टिकोण में बाधक न बने।
- पाठ्यचर्या में संवेदीकरण: शिक्षक शिक्षा (B.Ed./D.El.Ed.) के पाठ्यक्रम में ऐसे मॉड्यूल जोड़ने चाहिए जो पुरुष प्रशिक्षुओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अधिक सहानुभूति और धैर्य विकसित कर सकें।
- संसाधन आवंटन: चूंकि विद्यालय प्रकार का प्रभाव आकार () 'बड़ा' है, अतः नीतियों में अशासकीय विद्यालयों को भी समावेशी संसाधन और सहायता प्रदान करने के प्रावधान होने चाहिए।

विद्यालय प्रबंधकों के लिए निहितार्थ

- संस्थागत संस्कृति का विकास: अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों को अपने संस्थानों में केवल अकादमिक परिणामों पर ध्यान न देकर एक 'समावेशी संस्कृति' विकसित करनी चाहिए, जहाँ दिव्यांग एवं वंचित वर्ग के बच्चों को पूर्ण स्वीकार्यता मिले।
- महिला शिक्षकों की नेतृत्वकारी भूमिका: चूंकि महिला शिक्षकों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है, प्रबंधक उन्हें समावेशी गतिविधियों का 'नोडल अधिकारी' या 'मेंटर' बना सकते हैं, ताकि वे अन्य सहयोगियों को प्रेरित कर सकें।
- प्रशासनिक सहयोग: प्रबंधकों को यह समझना चाहिए कि शिक्षकों का दृष्टिकोण उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षकों को आवश्यक शिक्षण-सहायक सामग्री और मनोवैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना प्रबंधकों का प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिए।

10. भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को प्रकाशित किया है, भविष्य में इस दिशा में निम्नलिखित बिंदुओं पर शोध कार्य किए जा सकते हैं:

- वर्तमान अध्ययन एक सीमित क्षेत्र तक केंद्रित रहा है। भविष्य में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ताकि निष्कर्षों का सामान्यीकरण (Generalization) व्यापक स्तर पर हो सके।
- यह अध्ययन मुख्य रूप से मात्रात्मक (Quantitative) आंकड़ों पर आधारित था। भविष्य में साक्षात्कार (Interview) और केस स्टडी (Case Study) जैसी गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है,



ताकि शिक्षकों के दृष्टिकोण के पीछे के छिपे हुए कारणों और उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों को समझा जा सके।

- भावी शोधों में शिक्षकों की आयु, कार्य अनुभव (Teaching Experience), शैक्षणिक योग्यता और उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे चरों को शामिल कर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है।
- शिक्षकों का दृष्टिकोण अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता (जैसे—दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित या मानसिक दिव्यांगता) के प्रति भिन्न हो सकता है। भविष्य में इस विशिष्टता पर केंद्रित शोध किए जा सकते हैं।
- भविष्य में शोधार्थी विभिन्न प्रशिक्षण मॉडलों, कार्यशालाओं या कहानी एवं मूल्य-आधारित कार्यक्रमों के पूर्व और पश्चात (Pre-test & Post-test) के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है।
- केवल शिक्षकों तक सीमित न रहकर, समावेशी शिक्षा के अन्य हितधारकों जैसे—सामान्य विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि समावेशन की सफलता पूरे समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।

सन्दर्भ सूची

- Bansal, S. (2016). Attitude of teachers towards inclusive education in relation to their professional commitment. *Indian Journal of Educational Studies: An Interdisciplinary Journal*, 3(5), 96–108.
- Desombre, C., Lamotte, M., & Mellier, D. (2021). Determinants of teachers' attitudes toward inclusive education: The role of the type of training, experienced social support, and self-efficacy. *Frontiers in Education*, 6, 601335. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.601335>
- Kalita, L. (2020). A study on attitude of secondary school teachers towards inclusive education. *MSSV Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1–11. <https://mssv.ac.in/media-library/uploads/3XhPo3R5TiCAKAu0KvsBvTcppztgDgf4zeyyYft1.pdf>
- Kaur, H. (2020). A study on attitude of teachers towards inclusive education. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 8(2), 212–216. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2002026.pdf>
- Lika, R. (2016). Teacher's attitude towards the inclusion of students with disabilities in regular schools. *CBU International Conference on Innovations in Science and Education Proceedings*, 578–582. <https://doi.org/10.12955/cbup.v4.817>
- Mahajan, M. (2015). Attitude of teachers towards inclusive education. *GHG Journal of Sixth Thought*, 2(2), 64–68. https://www.ghgkce.org/files/education/journal/j_14_10_2015.pdf



अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

- Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Padmavathy, R. D. (2019). In-service teacher's perception towards inclusive education: Variation by gender, place of residence, educational qualification and teaching experience. *International Journal of Management*, 10(2), 200–209. https://iaeme.com/Home/article_id/IJM_10_02_021
- Singh, S., Kumar, S., & Singh, R. K. (2020). A study of attitude of teachers towards inclusive education. *Shanlax International Journal of Education*, 9(1), 189–197. <https://doi.org/10.34293/education.v9i1.3511>
- Strnadová, I., Potmesil, M., & Potmesilova, P. (2023). Pupils' attitudes toward inclusive education. *Children*, 10(11), 1787. <https://doi.org/10.3390/children10111787>
- UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- UNESCO. (2020). Parental attitudes towards inclusive education (Background paper prepared for the 2020 Global Education Monitoring Report). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373688>